17

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय (म0प्र0) राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा(म.प्र.)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

R 5174-II/15

1.समर बहादुर सिंह पिता स्व0 सवाईलाल सिंह

2.समसेर बहादुर सिंह पिता स्व0 सवाईलाल सिंह

3.दीपक कुमार सिंह पिता स्व0 सवाईलाल सिंह

4.सुगनीदेवी पत्नी स्व0 सवाईलाल सिंह(मृतक)

सभी निवासी ग्राम मवई थाना चुरहट,तहसील चुरहट जिला–सीधी (म0प्र0) ------निगरानीकर्तागण

बनाम

योगेन्द्र सिंह तनय स्व0 पद्युमनाथ सिंह, निवासी ग्राम मवई थाना चुरहट, तहसील चुरहट जिला–सीधी (म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्ता

श्री ब्रजेन्द्र पाण्डेय एड द्वारा आज दिनांक 18-11-15 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–रा0संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी के प्र.क्र. 467/निगरानी/08-09 पारित आदेश दिनांक 19/10/2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(17)

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

निगरानी 5171–दो/2015 जिला सीधी

समर बहादुर सिंह विरूद्ध योगेन्द्र सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्रों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–8–2018	आवेदक अभिभाषक श्री बृजेन्द्र पाण्डे एवं अनावेदक अभिभाषक श्री आदित्य सिंह उपस्थित। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार चुरहट के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 76/5 पर भूमिस्वामी के रूप में नाम जोड़ने जाने बावत प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने अनावेदक का उक्त आवेदन आदेश दिनांक 16–6–2000 को निरस्त किया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–1–2001 प्रकरण नायब तहसीलदार चुरहट को पंजी की जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19–10–2015 से निगरानी खारिज की। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनोवदक ने नाम जोडने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।	

निगरानी 5171–दो / 2015 जिला सीधी

समर बहादुर सिंह विरूद्ध योगेन्द्र सिंह

तहसीलदार न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालते हुये कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 08–8–89 को नामांतरण आदेश पारित किया था इसलिए उक्त आदेश को चुनौती देना चाहिए था न कि संशोधन आवेदन पत्र पेश करना था, अनावेदक का आवेदन निरस्त किया। तहसील न्यायालय को संबंधित खसरे में दर्ज प्रविष्टि की जांच कर परीक्षकण करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31–1–2001 को आदेश पारित करते हुये पंजी कमांक 27 आदेश दिनांक 29–06–1987 की सत्यतता की जांच करने तथा आवश्यक हो तो साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करें। यदि कोई प्रविष्टि अस्त्तिव में नहीं है तब ऐसी परिस्थितियों में फर्जी प्रविष्टि की जांच आवश्यक है। इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने उक्त पंजी की जांच करने सम्बधी आदेश पारित किये हैं। जिसे अपर कलेक्टर द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दर्शित परस्थितियो में दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 19–10–15 स्थिर रखा जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

10/6/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य